छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

(दूरभाष 0771 2437003, 2437004, 2437005, 2437048, 2437006 फैक्स 0771, 2429385)

क्रमांक / 9626 / गोपनीय / 2017 रायपुर, दिनांक 19/12/17

प्रति,

समस्त प्राचार्य / केन्द्राध्यक्ष,
हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी स्कूल,परीक्षा
(छत्तीसगढ़)

विषयः— **वर्ष 2017–18 की हाईस्कूल तृतीय अवसर / हायर सेकण्डरी / हायर सेकण्डरी व्यावसायिक स्वाध्यायी प्रायोगिक परीक्षा एवं विषय पर्यावरण अध्ययन के प्रायोगिक एंव सैद्धांतिक परीक्षा के अंक एक साथ भेजने विषयक।**

उपरोक्त विषय में लेख है कि मण्डल द्वारा संचालित हाईस्कूल तृतीय अवसर / हायर सेकण्डरी / हायर सेकण्डरी व्यावसायिक स्वाध्यायी परीक्षा वर्ष 2018 के प्रायोगिक परीक्षा एवं विषय – पर्यावरण अध्ययन के प्रायोगिक परीक्षा एवं सैद्धांतिक परीक्षा के अंक मूल्यांकन उपरांत एक साथ फाईल / काउन्टर फाईल भरकर जिले के समन्वय संस्था एवं संभागीय कार्यालय–बिलासपुर, राजनांदगांव, अम्बिकापुर, जगदलपुर में **दिनांक** 22/03/2018 तक जमा किया जाना है।

विगत वर्ष 2017 में कुछ केन्द्राध्यक्षों द्वारा प्रायोगिक परीक्षा एवं विषय पर्यावरण अध्ययन के अंक समय पर जमा नहीं करने के कारण बहुत से परीक्षार्थियों का परीक्षाफल RWL की श्रेणी में रोके गये थें। गत वर्ष की भांति परीक्षा वर्ष 2018 में विषय–पर्यावरण अध्ययन के प्रायोगिक परीक्षा एवं सैद्धांतिक परीक्षा के अंक प्रविष्टि हेतु फाईल / काउन्टर फाईल एक साथ बनाया गया है। अन्य विषयों के प्रायोगिक परीक्षा के अंक एवं विषय पर्यावरण अध्ययन के प्रायोगिक / सैद्धांतिक परीक्षा के अंक अनिवार्य रूप से **दिनांक** 22/03/2018 तक जिले के समन्वय संस्था एवं संभागीय कार्यालय–बिलासपुर, राजनांदगांव,अम्बिकापुर,जगदलपुर जमा करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। पर्यावरण के प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक परीक्षा के मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएँ केन्द्राध्यक्ष आगामी पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने तक संस्था में सुरक्षित रखेंगें। विषय पर्यावरण अध्ययन के प्रायोगिक / सैद्धांतिक परीक्षा एवं अन्य विषयों प्रायोगिक परीक्षा की फाईल / काउन्टर फाईल अंको के लिफाफे निर्धारित समय सीमा में प्राप्त नहीं होने की दशा में संबंधित केन्द्र का परीक्षाफल मण्डल द्वारा घोषित नहीं किया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष की होगी। कृपया इसे प्राथमिकता देवें।

टीप :–यदि 22/03/2018 के बाद समन्वय संस्था एवं संभागीय कार्यालय में अंक प्राप्त होते है, तो संबंधित शाला से प्रति दिन रूपये 200.00 की दर से विलंब शुल्क लिया जाएगा। समय–सीमा पश्चात विलम्ब से प्राप्त अंको को अमान्य करने पर भी विचार किया जा सकता हैं, ऐसी स्थिति में परीक्षार्थियों के अहित की जवाबदारी आपकी स्वयं की होगी।

सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

पृं. क्रमांक /9627/ गोपनीय / 2017 रायपुर, दिनांक 19/12/2017

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष / सचिव छ.ग.मा.शि.मं. रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग, रायपुर छ0ग0।
4. समस्त सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग छ0ग0।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छ0ग0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्राचार्य समस्त समन्वय संस्थाएँ उ0मा0वि0 जिला मुख्यालय छ0ग0 की ओर भेजकर लिखा जाता है कि आपके जिले के स्वाध्यायी परीक्षा केन्द्रो से प्राप्त विषय पर्यावरण अध्ययन के प्रायोगिक / सैद्धांतिक परीक्षा के अंक एवं अन्य प्रायोगिक विषयों के अंको के लिफाफे सूची बद्धकर मण्डल मुख्यालय, रायपुर को मेसेंजर से **दिनांक** 05/04/2018 तक अनिवार्यतः भिजवाये नियमानुसार टी0ए0 / डी0ए0 की पात्रता होगी। जिन संस्थाओं की ओर से प्रायोगिक / सैद्धांतिक परीक्षा के अंको के लिफाफे अप्राप्त है उनकी सूची भी अंक लेकर आने वाले अधिकारी / कर्मचारी के द्वारा भिजवाये।

सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर